खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, पंजाब की शक्तियों के उप-प्रत्यायोजन को खाद्य निरीक्षक, फरीद-कोट को अधिकृत करने के लिए माना गया। यदि ऐसा माना जाता है, जैसा कि यह होना चाहिए, तो इसका मतलब यह होगा कि खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, राज्य सरकार द्वारा अभियोजन शुरू करने के लिए अधिकृत व्यक्ति था। खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के लिए अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत अधिकृत व्यक्ति होने के नाते यह भी स्वीकार्य था कि वह खाद्य निरीक्षक, फरीदकोट द्वारा इस तरह के अभियोजन की स्थापना के लिए अपनी लिखित सहमति दे सकता है, जैसा कि बॉम्बे राज्य बनाम पुरुषोत्तम कनियालाल और कलकत्ता के निगम *बनाम* मोहम्मद उमर अली में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है। (1961)1 एससीआर 458 और (1976) 4 एससीसी 527 क्रमशः।

ए. के. रॉय के मामले *(सुप्रा) को देखते हुए,* इस आपराधिक संशोधन को स्वीकार किया जाता है, दोषसिद्धि और याचिकाकर्ता को दी गई सजा को रद्द कर दिया जाता है और उसे आरोप से बरी कर दिया जाता है। जुर्माना, यदि भुगतान किया जाता है, तो वापस कर दिया जाएगा।

एस.सी.के.

उजागर सिंह, जे के सामने।

रीत सिंह, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य- *उत्तरदाता।*

आपराधिक संशोधन - सं। 1986 का 5

२४ अप्रैल । 1989.

*खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (*1954 का XXXVII) - *धारा* 7, 16 (1*) (क)* (i) - *गाय के दूध के नमूने में* 11 *प्रतिशत तक वसा की कमी पाई गई - वसा की मात्रा आवश्यकता से अधिक पाई गई - इस आशय के साक्ष्य कि सरगर्मी ठीक से नहीं की गई थी - दूध का नमूना पूरी मात्रा का सही प्रतिनिधि नहीं है* - कार्यवाही शुरू करने में देरी - दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया।

और रूप। कि सरगर्मी सावधानी से नहीं की गई थी ताकि नमूने को डुम में निहित दूध की पूरी मात्रा का प्रतिनिधि बनाया जा सके। इसने गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया, जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि लोक विश्लेषक द्वारा नमूने का विश्लेषण करने के बाद छह महीने की अनुचित देरी क्यों हुई। इस स्कोर पर भी, याचिकाकर्ता कम से कम संदेह के लाभ का हकदार है।

(पैरा 5)

श्री एमएस नागरा, अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय), जींद के दिनांक 6 दिसंबर, 1985 के आदेश में संशोधन के लिए याचिका, जिसमें श्री आरएस बासवाना, उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरवाना द्वारा 27 अप्रैल, *1985 को याचिकाकर्ता को* दोषी ठहराते हुए और सजा सुनाए जाने *की पुष्टि की गई है।*

आरोप: खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, *1955* की धारा 16 (सी) (ए) (आई) *के साथ धारा* 7 के तहत।

सजा: 6 महीने के लिए और 10,000 रुपये का जुर्माना। 1,000 या *डिफ़ॉल्ट रूप से* 1 *के लिए आर. आई. महीने।*

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वाईके शर्मा।

प्रतिवादी की ओर से वाई. पी. मलिक, वकील।

निर्णय

उजागर सिंह, जे।

(1) पुनरीक्षण-याचिकाकर्ता की जांच तब की गई जब वह जींद जिले के नरवाना में सुबह 10.40 बजे एक ड्रम में 20 किलोग्राम गाय का दूध ले जा रहा था। सरकारी खाद्य निरीक्षक ने आवश्यक नोटिस देने के बाद नागरिक अस्पताल नरवाना के चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरपी लीका की उपस्थिति में 2 रुपये के भुगतान पर 660 मिलीलीटर गाय के दूध का नमूना लिया। नमूने को तीन भागों में विभाजित किया गया था। नमूना दूध के एक हिस्से को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा गया था। लोक विश्लेषक ने 6 अगस्त, 1982 को नमूने के विश्लेषण के बाद अपनी रिपोर्ट एक्स पीडी के माध्यम से दूध वसा 42 प्रतिशत और दूध ठोस पदार्थ 76 प्रतिशत वसा रहित पाए गए। सरकारी खाद्य निरीक्षक मोती राम द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1983 को शिकायत 3 फरवरी, 1983 को प्रस्तुत की गई थी। सरकारी खाद्य निरीक्षक राम सिंह (पीडब्ल्यू 1) और सरकारी खाद्य निरीक्षक मोती राम (पीडब्ल्यू 2) से पूछताछ के बाद, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को आरोप के उद्देश्य से बंद कर दिया गया था। आरोप 13 अप्रैल, 1983 को तय किए गए थे। इसके बाद सरकारी खाद्य निरीक्षक मोती राम को जिरह के लिए पेश किया गया, लेकिन उनसे जिरह नहीं की गई। अभियोजन पक्ष ने स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (पीडब्ल्यू 3) के क्लर्क फतेह सिंह और सिविल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रेम लीका से पूछताछ की। रेवाड़ी। सरकारी खाद्य निरीक्षक राम सिंह को 20 मार्च, 1985 को जिरह के लिए पेश किया गया और उसी तारीख को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद कर दिए गए। अभियोजन पक्ष ने सबूत के तौर पर लोक विश्लेषक की पूर्व पीडी रिपोर्ट भी पेश की है। याचिकाकर्ता से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई जिसमें उसने आरोप से इनकार किया। दलीलें सुनने और फाइल को देखने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया और उसे धारा 7 के तहत छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 (1) (ए) (आई) और 1,000 रुपये का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 1 साल की और अवधि के लिए जुर्माने का सामना करने का निर्देश दिया गया। महीने। याचिकाकर्ता द्वारा पसंद की गई अपील में कोई दम नहीं पाया गया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने इस आपराधिक संशोधन द्वारा अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी है।

(2) सरकारी खाद्य निरीक्षक राम सिंह (पीडब्ल्यू 1) ने उपरोक्त तारीख को

याचिकाकर्ता को रोका था और नमूना लिया था, नोटिस देने के बाद पूर्व पीए और उक्त मात्रा का नमूना लेने के बाद, नमूना दूध की कीमत के रूप में 2 रुपये की राशि का भुगतान किया। नकद रसीद Ex. PB है। Ex.PC नमूना लेने के संबंध में घटनास्थल पर तैयार किया गया ज्ञापन है। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। सरकारी खाद्य निरीक्षक मोती राम ने शिकायत दर्ज कराई और उनका बयान है कि उन्होंने उक्त दस्तावेजों के आधार पर ऐसा किया। उन्होंने शिकायत को साबित कर दिया है। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (पीडब्ल्यू 3) में क्लर्क फतेह सिंह ने साबित किया कि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट के बारे में नोटिस 28 फरवरी, 1982 को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था। इसकी प्रति पूर्व पीई है। डॉ. प्रेम लीका (पीडब्ल्यू4) गवाह हैं जिनकी मौजूदगी में सैंपल लिया गया था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष सरकारी खाद्य निरीक्षक राम सिंह और डॉ प्रेम लीखा (पीडब्ल्यू 4) की गवाही पर निर्भर करता है।

(3) याचिकाकर्ता के वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि ड्रम में निहित दूध को ठीक से हिलाया नहीं गया था और इसके परिणामस्वरूप, नमूना सावधानी से नहीं लिया गया था। विद्वान वकील का तर्क है कि सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट एक्स पीडी में दूध वसा में कोई कमी नहीं पाई गई है और यह आवश्यकता से अधिक है। हालांकि, दूध के ठोस पदार्थ वसा में 11 प्रतिशत की कमी होती है। उनके अनुसार, ऐसा परिणाम सामान्य रूप से दूध को ठीक से नहीं हिलाने के कारण होता है। राज्य के वकील ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष के दोनों गवाह सरकारी खाद्य निरीक्षक राम सिंह (पीडब्ल्यू 1) और डॉ प्रेम लीखा (पीडब्ल्यू 4) आधिकारिक गवाह हैं और उनका याचिकाकर्ता को झूठा फंसाने का कोई मकसद नहीं है। इसलिए दोषसिद्धि और सजा उचित तरीके से दी गई है।

(4) मैंने पक्षकारों के वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड देखा है।

(5) सरकारी खाद्य निरीक्षक राम सिंह (पीडब्ल्यू 1) के बयान में उल्लेखित शब्दों के अलावा कि यह कैसे किया गया था, इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। हमारे पास डॉ. प्रेम लीखा (पीडब्ल्यू 4) की गवाही में विवरण है और उन्होंने कहा है कि "जब दूध को खाद्य निरीक्षक द्वारा हिलाया गया था। उपाय, पूरा उपाय दूध में डुबोया गया था, लेकिन खाद्य निरीक्षक का हाथ "दूध में नहीं डूबा" था। ड्रम की ऊंचाई 3/32 फीट थी। यह आधा भरा हुआ था। माप लंबाई में लगभग 7 "8" था। मुझे ठीक से याद नहीं है कि यह आधा किलो का था या एक किलो का। जब सरकारी खाद्य निरीक्षक द्वारा दूध को इस उपाय के साथ हिलाया गया, तो पूरे उपाय को दूध में डुबोया गया, लेकिन खाद्य निरीक्षक का हाथ दूध में नहीं डूबा। इस कथन से यह स्पष्ट है कि माप जो लंबाई में 7/'-8'/ था और दूध की गहराई जितना लंबा नहीं था। दूध की गहराई कम से कम lj ft या यदि फीट थी। माप की लंबाई केवल 7 "या 8" थी। दूध को हिलाने के लिए डॉ. प्रेम लीखा (पीड़ब्ल्यू 4) द्वारा दिए गए विवरण से, कोई भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि दूध को सजातीय बनाने के लिए सरगर्मी उचित थी।

राजस्थान राज्य बनाम *केचब*[1], के मामले में कतिपय दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। जिसमें उस उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उस मामले में सबूतों को देखने के बाद कहा कि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था कि सरकारी खाद्य निरीक्षक ने नमूना लेने से पहले दूध को अच्छी तरह से मिलाया या तो इसे लंबे हैंडल किए गए डिपर के साथ हिलाकर या बर्तन से दूसरे में डालकर या धीरे से हिलाकर। यह संभव है कि दूध का नमूना कंटेनर में निहित दूध के पूरे शरीर का सच्चा प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें खाद्य ग्लोब्यूल्स या बुलबुले की उपस्थिति होती है। उस निर्णय में, ए. सी. अग्रवाल और बी. एम. शर्मा, चतुर्थ संस्करण, 1961 की पुस्तक "ए लेबोरेटरी मैनुअल ऑफ मिल्क इंस्पेक्शन" का संदर्भ दिया गया था, जिसमें से निम्नलिखित दिशानिर्देशों को पुनः प्रस्तुत किया गया था:

"सामान्य नमूनाकरण: दूध के सभी विश्लेषणों में दूध का सावधानीपूर्वक और सटीक नमूना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संभवतः परीक्षणों के वास्तविक प्रदर्शन की तुलना में नमूनों की लापरवाह तैयारी के माध्यम से अधिक त्रुटियां होती हैं। इस संबंध में ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूध का पूरा शरीर जिसमें से एक नमूना लिया जाना है, इसकी संरचना में एक समान होना चाहिए और विश्लेषण के लिए इसमें से निकाला गया दूध का कोई भी नमूना आवश्यक रूप से दूध के पूरे शरीर का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। दूध की संरचना की एकरूपता को परेशान करने वाले कारक मुख्य रूप से वसा का पृथक्करण और आंशिक मंथन हैं। दूध के मिश्रण के माध्यम से पहले या तो कंटेनर बड़ा होने पर लंबे हैंडल वाले डिपर के साथ हिलाकर या एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालकर या धीरे से हिलाकर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इसी तरह, कृष्ण लाल बनाम *हरियाणा राज्य*[2], मामले में एम एम पुंछी, जे निम्नानुसार है: –

"दही को लंबवत रूप से काटना पड़ता है और पूरे कटे हुए घटक को बाहर निकालना पड़ता है। फिर मंथन किया और बाद में तीन बराबर बोतलों में विभाजित किया। यह विधि लिए जाने वाले तीन नमूनों में से एक या दूसरे नमूने में गैर-वसा वाले दूध ठोस या दूध ठोस वसा की परत की संभावना को कम करती है। सरगर्मी मंथन नहीं है।

यह माना गया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से संकेत मिलता है कि दही को हिलाया गया था और नमूने की बोतल में डाल दिया गया था, लेकिन नमूना लेने में शिथिलता के कारण, लिए गए नमूने पूरे पदार्थ के प्रतिनिधि नहीं हैं और इससे गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया। उपरोक्त मामले में टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और उसमें निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए, इस मामले में यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता

[1] ओएच 980 सीआरआई.एल.जे. 894.

[2] 1982 सीआरआई लजे एनओसी 37 पंजाब और हरियाणा

है कि सरगर्मी सावधानीपूर्वक नहीं की गई थी ताकि नमूने को ड्रम में निहित दूध की पूरी मात्रा का प्रतिनिधि बनाया जा सके।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एक अन्य मुद्दा यह है कि वर्तमान मामले में, नमूना 17 जुलाई, 1982 को लिया गया था। इसका परीक्षण 6 अगस्त, 1982 को लोक विश्लेषक द्वारा किया गया था, लेकिन अभियोजन 2 फरवरी, 1983 को शुरू किया गया था, अर्थात रिपोर्ट की प्राप्ति के लगभग 6 महीने बाद। याचिकाकर्ता 23 फरवरी, 1983 को अदालत में पेश हुआ। इस संबंध में, उन्होंने एक मामले, शिव दयाल बनाम मध्य प्रदेश *राज्य*[3] *पर भरोसा किया* है।, जिसमें विश्लेषण के लिए दूध का नमूना 12 सितंबर, 1968 को लिया गया था। इसका विश्लेषण 16 अक्तूबर, 1969 को किया गया था। अभियोजन 24 जून, 1969 को शुरू किया गया था और आवेदक 9 सितंबर, 1969 को उपस्थित हुआ था। उस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि लोक विश्लेषक द्वारा नमूने का विश्लेषण करने के बाद आठ महीने की अनुचित देरी क्यों हुई। इसमें यह निम्नानुसार देखा गया था:

> "इसलिए ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्राधिकरणों को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि दूध का एक नमूना, संरक्षक जोड़ने के बाद भी, प्रशीतन के तहत रखे जाने पर 8 महीने की अवधि के लिए विश्लेषण के लिए फिट रह सकता है। ब्रिटानिका के विश्वकोश में दी गई अवधि निश्चित रूप से निम्नलिखित के अंतर्गत है:

जुगल किशोर और अन्य। *भगवान* बास और अन्य (जे. वी. गुप्ता, जे.

> सीओएम देशों में प्रचलित स्थितियां लेकिन हमारी जलवायु बहुत खराब है। वास्तव में, तापमान सामान्य रूप से 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। पूरे साल, गर्मियों का तापमान बहुत अधिक होता है। नमूनों के परिरक्षण के लिए यहां भी वैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जैसी कि उन उन्नत देशों में हैं। इसलिए यहां तक कि अगर आवेदक ने नमूना बोतल अपने पास रखी थी, तो भी एक वर्ष के अंतराल के बाद कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ होगा क्योंकि उस समय तक नमूना विघटित हो गया होगा और विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इस मामले में अत्यधिक विलंब को देखते हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आवेदक ने केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक को नमूना बोतल भेजने के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आवेदन नहीं किया था। " '

"इस स्कोर पर भी, याचिकाकर्ता कम से कम संदेह के लाभ का हकदार है।

(7) इस चर्चा के संदर्भ में, : मैं इस क्रिम संशोधन को स्वीकार करता हूं; याचिकाकर्ता को दी गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द करें और उसे आरोप से

[3] 1977 सीआरटी एलजे 1548

बरी कर दें। जुर्माना, यदि भुगतान किया जाता है, तो उसे वापस कर दिया जाए।

टी. सी. जी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी

जे. वी. गुप्ता से पहले। J.

जुगल किशोर और *अन्य.—याचिकाकर्ता,*

बनाम

भगवान दास और अन्य, *उत्तरदाता।*

सिविल संशोधन सं. 1988 का 2591

28 फरवरी, 1989।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का वी)- ओ. 35, *आर.* 5- *प्रयोज्यता और दायरे - किरायेदार द्वारा अपने मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दायर करने का दायरा - चूसना मुकदमा - क्या सुनवाई योग्य है।*

यह माना गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 35, आरएल 5 के अनुसार, किरायेदार अपने मकान मालिकों पर मुकदमा नहीं कर सकता है, उन्हें ऐसे प्रिंसिपलों या मकान मालिकों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ अंतर-दलील करने के लिए मजबूर कर सकता है।

(पैरा 5)